

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(संसद अधिनियम 25 (2009) के तहत स्थापित)
(Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament)



गांव: जांट-पाली, जिला-महेन्द्रगढ़
(हरियाणा) . 123031

Village: Jant-Pali, Distt: Mahendergarh
(Haryana)-123031

हकेवि/कुलसचिव कार्यालय/2024 /1576

दिनांक: 10.04.2024

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को निम्न दिशानिर्देश दिए जाते हैं:-

1. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखें एवं सुरक्षा कर्मियों द्वारा माँगने पर अपना आई.डी. कार्ड प्रस्तुत करें।
2. सभी संबंधित कर्मचारी/विद्यार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके वाहन पर पार्किंग स्टीकर लगा हुआ हो। यदि पार्किंग स्टीकर नहीं है, तो कृपया सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करें।
3. विश्वविद्यालय के गेट नंबर 02 (जांट गेट) का प्रयोग वाहन के लिए शाम 05 बजे से सुबह 06 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी एवं छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी शाम 05 बजे से सुबह 06 बजे तक आवागमन के लिए गेट नम्बर 01 का प्रयोग कर सकते हैं।

S. Kumar
10/4/2024
कुलसचिव (प्रभारी)

सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु एक प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती है:-

1. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय (माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
2. सभी अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्रभारी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
3. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
4. प्रोवोस्ट, महिला छात्रावास, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
5. प्रोवोस्ट, पुरुष छात्रावास, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
6. सुरक्षा अधिकारी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
7. श्री. सुमित सिंह, सिस्टम एनालिस्ट, हकेवि (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड एवं ब्राडकास्ट करने हेतु।)